न्यायालय, उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, लातेहार।

भूमि बिक्री अनुमति वाद संख्या–27 / 2024

U/S 46(1-b) of CNT Act

गौरी शंकर मांझी

बनाम्

योगेन्द्र तुरी

–: आदेश :–

वर्तमान वाद की प्रक्रिया गौरी शंकर मांझी, पिता–स्व0 महंगु मांझी, सा0+थाना–मनिका, जिला–लातेहार द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा–46(1) (बी) के तहत् क्रेता योगेन्द्र तुरी, पिता–बुधु तुरी, सा0–नहीरा, पो0–पल्हेया, थाना–मनिका, जिला–लातेहार के साथ मौजा–मनिका अंचल–मनिका, खाता संख्या–64 प्लॉट संख्या–2383 / 2546 रकबा–0.04 एकड़ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान करने के लिए दिये गये आवेदन पर कार्यवाही प्रारंभ किया गया। दोनों पक्षों द्वारा दिनांक 16.07.2024 को सशरीर उपस्थित होकर जमीन का उचित बाजार मूल्य पर क्रय–विक्रय के लिए सहमति व्यक्त करते हुए अनुमति प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

अंचल अधिकारी, मनिका के पत्रांक–111 दिनांक 03.04.2024 से प्राप्त भूमि का जांच प्रतिवेदन तथा अभिलेख में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया।

अंचल अधिकारी, मनिका के पत्रांक–111 दिनांक 03.04.2024 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि बिक्री हेतु प्रस्तावित भूमि मौजा–मनिका अंचल–मनिका, खाता संख्या–64 प्लॉट संख्या–2383 / 2546 रकबा–0.04 एकड़ भूमि आवेदक की खतियानी रैयती भूमि है। विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जाति के अन्तर्गत आते हैं एवं एक ही जिला के निवासी है। बिक्री के पश्चात्

12/8

आवेदक के पास कुल–6.99 एकड़ भूमि शेष बचता है। विक्रेता भूमि बिक्री के पश्चात् भूमिहीन नहीं हो रहे हैं। अंचल अधिकारी, मनिका द्वारा भूमि बिक्री की स्वीकृति हेतु अनुशंसा किया गया है।

अतः छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा–46(1)(बी) के अंतर्गत गौरी शंकर मांझी, पिता–स्व० महंगु मांझी, सा०+थाना–मनिका, जिला–लातेहार को क्रेता योगेन्द्र तुरी, पिता–बुधु तुरी, सा०–नहीरा, पो०–पल्हेया, थाना–मनिका, जिला–लातेहार के साथ मौजा–मनिका अंचल–मनिका, खाता संख्या–64 प्लॉट संख्या–2383/2546 रकबा–0.04 एकड़ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। आदेश की प्रति उभय पक्ष, जिला अवर निबंधक, लातेहार एवं अंचल अधिकारी, मनिका को भेजें तथा अभिलेख जिला अभिलेखागार में जमा करें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त,
लातेहार।

उपायुक्त,
लातेहार।

Digitally signed by Garima Singh
Date: 2024.09.20 16:09:31 +05:30
Location: 192.168.164.143